

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर-नवा रायपुर

क्रमांक 4611 / FINACC/3846/2025-WRD/F-1-09/S-2/31/2008, नवा रायपुर, दिनांक 16 / 10 / 2025
प्रति,

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- बलारामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड-वाङ्गफनगर की सुलसुली जलाशय योजना की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- 1. प्र.अ. का पत्र क्रमांक-1338/बोधी/आरएए/2020/1308, दिनांक 08.02.2021.
2. मुख्य अभियंता, ह.गं.क., अंबिकापुर का पत्र क्र.-3663/कार्य/2023, दि.22.09.2023

राज्य शासन एतद् द्वारा बलारामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखंड-वाङ्गफनगर की सुलसुली जलाशय योजना कार्य हेतु लागत राशि रु. 2058.85 लाख (रुपये बीस करोड़ अन्दावन लाख पचासी हजार) मात्र की पुनः पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करता है :-

1. यह लागत अंतिम स्वीकृत लागत होगी तथा इस कार्य को इसी लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।
2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत 353.39 हेक्टेयर खरीफ एवं 52.49 हेक्टेयर रबी सहित कुल 405.88 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी।
3. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, अनुसूचित जनजाति उपयोजना, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}-सतही जल, 0102 अनुसूचित जनजाति उपयोजना, (3828)-लघु सिंचाई योजना, #97-निर्माण कार्य, 003-बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
4. वित्त विभाग द्वारा उनके ऑनलाईन जावक क्रमांक-E Comp. No.:114054 File No.:FINACC-38029/940/2025-FINANCE, दिनांक 14.10.2025 द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।
5. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
6. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त योजना का पूर्णता प्रमाण पत्र शासन को दिया जाये।
7. कार्य की ड्राईंग व डिजाइन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
8. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
9. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
10. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।
11. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
12. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
13. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।

14. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये । किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये ।
15. अनुबंध अनुसार कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करे । निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये । कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि (Time Extention) न की जाये। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी ।
16. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।
17. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/ निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
Digitally signed by तथा आदेशानुसार
GORE LAL BHUARYA
Date: 16-10-2025
16:04:07 (गोरे लाल भूआर्य)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्रमांक 4612 / FINACC/3846/2025-WRD/F-1-09/S-2/31/2008, नवा रायपुर, दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
6. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. कलेक्टर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
8. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
9. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर।
10. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
- ✓ 11. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन मंडल बलरामपुर (छ.ग.)।
13. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-02, रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.)।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. आदेश फोल्डर।

Digitally signed by
GORE LAL BHUARYA
Date: 16-10-2025
16:04:45

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग



